

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र के एटा डिपो कार्यशाला पर साइलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।

अलीगढ़ क्षेत्र के अधीनस्थ एटा डिपो कार्यशाला पर अंकित क्षमता के साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डेड (किलोस्कर, कमिन्स, लीलैण्ड, महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पार्टियों निम्न शर्तों के आधार पर 03वर्ष की अवधि के लिए किराये पर जनरेटर लगाये जाने हेतु अपनी निविदाएँ/प्रस्ताव निविदा प्रपत्र जो दिनांक 26.10.2018 से किसी भी कार्यालय दिवस में रू0 500.00 + 90.00(GST 18%) =590.00 (कर सहित) का भुगतान कर सेवा प्रबन्धक कार्यालय, अलीगढ़ से प्राप्त किये जा सकते हैं, अथवा निगम की website से डाउनलोड कर, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पर दिनांक 06.11.2018 को समय प्रातः 10.00 बजे से 14.00 बजे अपरान्ह तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा उसी तिथि को 15.00 बजे खोली जायेगी।

निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदाओ/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। 03 वर्ष उपरान्त कार्य संतोपजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध 02वर्ष के प्रस्ताव किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। निविदा लिफाफे पर स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार अंकित किया जाये –

|   |                       |
|---|-----------------------|
| जनरेटर निविदा हेतु डिपो कार्यशाला का नाम – एटा डिपो | जनरेटर क्षमता –32 KVA |
|---|-----------------------|

–: निविदा शर्तें :-

1. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 15 दिवसों के अन्दर जनरेटर सेट लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
2. डीजल औसत की समीक्षा परिवहन निगम द्वारा गठित समिति, द्वारा समय समय पर की जायेगी। जिसके सदस्य निविदादाता/प्रतिनिधि भी होंगे। समिति द्वारा निर्धारित डीजल औसत के अनुसार संचालित घंटों के आधार पर डीजल मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
3. जनरेटर किसी भारतीय प्रतिष्ठित कम्पनी का साइलेन्ट जनरेटर होना चाहिये।
4. जनरेटर का समस्त संचालन एवं मेन्टीनेन्स व्यय (कलपुर्जो सहित (जैसे आपरेटर, डीजल, मेन्टीनेन्स,मेन्टीनेन्स से सम्बन्धित सामान,कलपुर्जे इत्यादि) निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
5. किराये पर लगाये जाने वाले जनरेटर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा (Inbuild) होना चाहिये, ताकि टेम्परिंग न की जा सके।
6. किराये पर लगाये जाने वाली जनरेटर की लाग वुक मेन्टेन की जायेगी जिस पर सम्बन्धित फोरमैन प्रतिदिन अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सप्ताह में एक बार तथा सेवा प्रबन्धक माह में एक बार लाग वुक को अवलोकित कर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
7. जनरेटर अथवा उसकी क्षमता में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय समिति द्वारा बदलाव किया जा सकता है।
8. वरिष्ठ अग्रजन/स्टेशन अधीक्षक द्वारा विल सत्यापित व स0क्षे0प्र0 डिपोज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने के उपरान्त जनरेटर के मासिक किराये/विल का भुगतान किया जायेगा।
9. जनरेटर के मासिक किराये/विल के भुगतान की धनराशि पर देय जीएसटी/ईपीएफ एवं विधिक देयता निविदादाता द्वारा वहन करनी होगी।
10. जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने कार्मिक के द्वारा ही कराया जायेगा। जनरेटर द्वारा पावर बैकअप की सुविधा 24 घन्टे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालक को दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
11. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. जमानत के रूप में धनराशि रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) का अर्नेस्टमनी का बैंक ड्राफ्ट जो सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़ के नाम देय हो, प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसको कार्यादेश न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म को वापस कर दिया जायेगा।
13. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

14. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निस्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकताएं निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।
15. जनरेटर स्थापित किये जाने का समस्त व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।
16. निविदादाता को अपने प्रस्ताव/निविदा में जनरेटर की डीजल खपत प्रति घण्टा अंकित करना अनिवार्य है।
17. भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
18. देय जीएसटी/अन्य कर/ईपीएफ निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
19. किसी भी निविदा/टेण्डर/वर्कआर्डर को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने का निर्णय क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।
20. प्रत्येक माह जीएसटी/ईपीएफ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का भुगतान किया जायेगा।
21. न्यूनतम घण्टे/संचालित घण्टे के आधार पर दर प्रदर्शित की जाये।
22. परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों को फर्म मानने को बाध्य होगी।
23. टेण्डर/निविदा की अवधि 03 वर्ष के लिए होगी, यदि फर्म द्वारा जनरेटर संचालन संतोषजनक किया जाता है तो फर्म के अनुरोध पर अनुबन्ध/कार्यादेश 01-01 वर्ष करके आगामी दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। फर्म के द्वारा जनरेटर संचालन संतोषजनक नहीं किया जाता है अथवा नियम/शर्तों के अनुसार जनरेटर संचालन न करने की स्थिति में कार्यादेश/अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(एस0के0यादव)  
सेवा प्रबन्धक,  
अलीगढ़

## कार्यालय सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़

पत्रांक:- से0प्र0/अली0/लेखा/जनरेटर-निविदा/2018-2199

दिनांक 25-10-2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (विधि/एन0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़।
5. सहायक प्रबन्धक(एन0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
6. निगम वेबसाइट अपलोड हेतु bablu@otpl.co.in , update@otpl.co.in & tender@upsrtc.com
7. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह समस्त बस स्टेशनों के नोटिस बोर्डों पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. नोटिस बोर्ड- कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ़/क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक।

सेवा प्रबन्धक  
अलीगढ़।



कार्यालय सेवा प्रबन्धक  
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,  
अलीगढ़ क्षेत्र

निविदा प्रपत्र

जनरेटर लगने का स्थान - .....

- 1- निविदा दाता फर्म का नाम-.....  
.....
- 2- निविदा दाता का पता-(छायाप्रति संलग्न करें).....  
.....
- 3- धरोहर राशि का विवरण-ड्राफ्ट सं०..... दिनांक..... धनराशि.....
- 4- अनुभव का विवरण-.....  
.....
- 5- पैन कार्ड का विवरण-(छायाप्रति संलग्न करें).....
- 6- जी०एस०टी० नं० का विवरण-(छायाप्रति संलग्न करें).....
- 7- ई०पी०एफ० का रजिस्ट्रेशन नं०-(छायाप्रति संलग्न करें).....
- 8- प्रस्तावित दरें - (अनुभव, मशीनें, मशीनें से सम्बन्धित सामान, कलपुर्जे इत्यादि सहित)  
क. जनरेटर किराया प्रति माह-..... + जीएसटी की दर.....=कुल धनराशि(अकों में)..... (शब्दों में).....  
ख. डीजल खपत ली० प्रति घण्टा.....
- 9- बैंक एकाउन्ट का विवरण (आई०एफ०एस०कोड सहित) -(छायाप्रति संलग्न करें).....  
.....
- 10- संलग्नो का विवरण :-  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....